कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2024/32 दिनांकः– 01.02.2024

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2022 /4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 01 फरवरी 2024 को प्राधिकरण कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 01 :: राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र धीगांणा के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

उपनिदेशक पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चतुर्थ रकबा 14.0264 हैक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि पशु चिकित्सा केन्द्र धीगांणा के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम धीगांणा के खसरा सख्या 192 किस्म बारानी चतुर्थ रकबा 14.0264 हैक्टेयर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलिटिज को On all road After approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 192 ग्राम धीगांणा से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र धीगांणा के भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

उपनिदेशक पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चतुर्थ रकबा 14.0264 हैक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि पशु चिकित्सा केन्द्र धीगांणा के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र धीगांणा के भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 02 :: राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेहलो की ढाणी झालामण्ड प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 में से 3 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेहलो की ढाणी झालामण्ड प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 रकबा 07.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकण जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। जोनल डवलपमेन्ट प्लान में दर्शित वॉटर बॉडी के पश्चात 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी एवं 30 मीटर सड़क से प्रभावित है। पटवारी के अनुसार उक्त खसरे में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 428 ग्राम झालामण्ड से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेहलो की ढाणी झालामण्ड प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 में से 3 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेहलो की ढाणी झालामण्ड प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेहलो की ढाणी झालामण्ड हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 03 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 में विद्यालय के नाम जमीन करने हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 में विद्यालय के नाम जमीन करने हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारंभिक, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 में रा.उ.प्रा. विद्यालय खत्री फॉर्म तिंवरी के नाम जमीन आवंटित करने हेतु रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित स्थल ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 रकबा 0.6637 हैक्टेयर यानि 4–02 बीघा किस्म – गै.मु.भाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हैं, मौके पर स्कुल संचालित हैं एवं मौके पर तीन तरफ पक्की एवं एक तरफ कच्ची दीवार बनी हुई हैं प्रस्तावित स्थल की लोकेशन गुगल इमेज में मार्क कर शामिल पत्रावली की गई हैं। ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 445 व 438 किस्म – गै.मु. रास्ता से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। वर्तमान में रास्ता खसरा सं. 446 से भी चल रहा है। जो प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी–31 अनुसार भू–उपयोग रूरल है। तथा उक्त भूमि एमडीपी की किसी भी सड़क स्थित नही है। तथा एमडीपी–डीसीआर अनुसार 60' व अधिक सड़क पर रूरल लैण्ड यूज में उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आवंटन नीति 2015 में अनुसार रा.उ.प्रा.वि. को संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर तक तथा संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर तक भूमि राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 में विद्यालय हेतु रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारंभिक, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 में रा.उ.प्रा. विद्यालय खत्री फॉर्म तिंवरी के नाम जमीन आवंटित करने हेतु रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 447 में रा.उ.प्रा. विद्यालय खत्री फॉर्म तिंवरी के नाम जमीन हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 04 :: ग्राम लुणावपुरा ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/3 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम लुणावपुरा ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/3 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम लुणावपुरा ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/3 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वर्णित स्थल राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम लुणावपुरा के खसरा संख्या 564/3 रकबा 145.9294 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर हैं, जिसका स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। मौके पर उक्त भूमि श्मशान के रूप में उपयोग ली जा रही हैं। उक्त प्रस्तावित भूमि हेतु पहुच मार्ग उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.6.5 अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के

Scanned with OKEN Scanner

भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र–1, नगरीय क्षेत्र–2 के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगे। अतः प्रश्नगत मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण, अन्य राजस्व वाद, प्रतिबंधित क्षेत्र, जल स्त्रोत यथा नदी, नाला, नाडी एवं कैचमेंट क्षेत्र एवं सड़क मार्गाधिकार (ROW) में स्थित नहीं होने व उक्त संदर्भ में जोन उपायुक्त स्तर से उक्त नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए श्मशान/कब्रिस्तान स्थलों से सम्बंधित मामलों में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता हैं।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार तहसील बालेसर के ग्राम लुणावपुरा के खसरा संख्या 564/3 की 5 बीघा भूमि अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लुणावपुरा के खसरा संख्या 564/3 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन में कोई बाधा नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार सार्वजनिक श्मशान हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षैत्रफल 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम लुणावपुरा ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/3 गै.मु. गोचर में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम लुणावपुरा ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/3 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम लुणावपुरा ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/3 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 05 :: ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बावरली, पंचायत समिति बावरली जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 रकबा 4.4434 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय हैं, जिसका स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। पत्रावली में राजस्व पटवारी द्वारा प्रमाणित जमाबंदी मय राजस्व नक्शा संलग्न हैं। मौके पर उक्त भूमि श्मशान के रूप में उपयोग ली जा रही हैं। उक्त प्रस्तावित भूमि हेतु पहुच मार्ग उपलब्ध हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.6.5 अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र–1, नगरीय क्षेत्र–2 के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगे। अतः प्रश्नगत मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण, अन्य राजस्व वाद, प्रतिबंधित क्षेत्र, जल स्त्रोत यथा नदी, नाला, नाडी एवं कैचमेंट क्षेत्र एवं सड़क मार्गाधिकार (ROW) में स्थित नहीं होने व उक्त संदर्भ में जोन उपायुक्त स्तर से उक्त नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए श्मशान/कब्रिस्तान स्थलों से सम्बंधित मामलों में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता हैं।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 के 5 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन में कोई बाधा नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार सार्वजनिक श्मशान हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 किस्म बारानी तृतीय में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम बावरली, पंचायत समिति बावरली जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बावरली के खसरा संख्या 275 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 06 :: ग्राम अजीतनगर ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/4 में सार्वजनिक श्मशान देदुओं की ढाणी हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम अजीतनगर ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/4 सार्वजनिक श्मशान देदुओं की ढाणी हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम अजीतनगर के खसरा संख्या 564/4 में सार्वजनिक श्मशान देदुओं की ढाणी हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वर्णित स्थल राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम अजीतनगर के खसरा संख्या 564/4 रकबा 146.0913 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर हैं, जिसका स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। पत्रावली में राजस्व पटवारी द्वारा प्रमाणित जमाबंदी मय राजस्व नक्शा संलग्न हैं। मौके पर उक्त भूमि पर देदुओं की ढ़ाणी के व्यक्तियों द्वारा श्मशान के रूप में उपयोग ली जा रही हैं। उक्त के उतरी दिशा में नाडी स्थित हैं। प्रस्तावित भूमि हेतु पहुच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध हैं। प्रस्तावित भूमि की गुगल इमेज संलग्न हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.6.5 अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र–1, नगरीय क्षेत्र–2 के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थापित किये जा सकेंगे। अतः प्रश्नगत मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण, अन्य राजस्व वाद, प्रतिबंधित क्षेत्र, जल स्त्रोत यथा नदी, नाला, नाडी एवं कैचमेंट क्षेत्र एवं सड़क मार्गाधिकार (ROW) में स्थित नहीं होने व उक्त संदर्भ में जोन उपायुक्त स्तर से उक्त नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए श्मशान/कब्रिस्तान स्थलों से सम्बंधित मामलों में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता हैं।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत बावरली के ग्राम अजीतनगर के खसरा संख्या 564/4 की 5 बीघा भूमि अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अजीतनगर के खसरा संख्या 564/4 में श्मशान हेतु भूमि आवंटन में कोई बाधा नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार सार्वजनिक श्मशान हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षैत्रफल 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम अजीतनगर ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/4 किस्म गै.मु. गोचर में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम अजीतनगर के खसरा संख्या 564/4 में सार्वजनिक श्मशान देदुओं की ढाणी हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम अजीतनगर ग्राम पचांयत बावरली के खसरा संख्या 564/4 देदुओं की ढाणी सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 07 :: ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (दईजर) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 2.10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र पालड़ी मांगलिया हेतु उपयुक्त भूमि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली हैं। उक्त भूमि ग्राम पंचायत पालड़ी मांगलिया के भवन के पास स्थित हैं जो राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम पालड़ी मांगलिया के खसरा संख्या 117 रकबा 523–04 बीघा किस्म गै.मु.भाकर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित उपयोग उप स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य सरकार आदेश दिनांक 03/06/22 अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन आवश्यक नही है व स्थानीय स्तर पर निर्णय व तदोपरांत राज्य सरकार की स्वीकृति से आवेदन किया जा सकता हैं। डीएलआर अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र का अलग से उल्लेख नहीं है पर Gov. Dispensary को 18m (60') व अन्य Public and Semi Public use को 24m (80') व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है (As per requirement of Concerned deperment).

पत्रावली के पृ.सं. 06 पर जोन स्तर से प्रस्तावित भूमि को दर्शायी हुई Satellite Image अनुसार प्रस्तावित भूमि को समीपस्थ स्थित पंचायत भूमि भवन से पहुंच मार्ग प्राप्त होता है जो तदोपरान्त मुख्य कालीबेरी मण्डलनाथ रोड State Highway से Connect होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पालड़ी मांगलिया के खसरा संख्या 117 की 2.10 बीघा भूमि अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 में भूमि आवंटन में कोई बाधा नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. भाकर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (दईजर) जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 2.10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा संख्या 117 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 08 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 में रा.प्रा.वि. नटियों की ढाणी हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 में रा. प्रा.वि. नटियों की ढाणी हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 में रा.प्रा.वि. हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार पत्रावली में प्रस्तावित स्थल ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 रकबा 126.8445 हैक्टेयर किस्म – गै.मु. गोचर का राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्रस्तावित भूमि की गुगल इमेज में मार्क कर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर उक्त खसरे में से ग्रेवल रास्ता चल रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी–2031 के अनुसार लैण्ड युज रूरल है तथा आवंटित की जाने वाली भूमि एमडीपी की किसी भी सड़क पर स्थित नहीं है तथा डीसीआर अनुसार रूरल लैण्ड युज में प्राथमिक स्कूल 80' व उससे अधिक सड़क पर अनुज्ञेय है।

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तिंवरी के ख़सरा संख्या 761/22 कुल रकबा 5 बीघा भूमि विद्यालय भवन की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार न्यायालय आदेश दिनांक 17.07.2023 का अवलोकन किया, जिसके द्वारा न्यायालय ने निर्देशित किया है कि अतिक्रमित भूमि को न्यायालय अनुमति के बिना नियमित नहीं किया जावे। प्राधिकरण के द्वारा बिना अतिक्रमण की भूमि का नियमानुसार आवंटन पर रोक नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार रा.प्रा.वि. हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 किस्म गै.मु. गोचर में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व 'परिशिष्ट–1' में आवेदन पेश कर ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 में रा.प्रा.वि. हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 में रा.प्रा.वि. नटियों की ढाणी हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2024/33-38 दिनांकः–01.02.2024

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट –1

श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 01 फरवरी , 2024 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह राजावत , उपायुक्त जोन–4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Scanned with OKEN Scanner